कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
आरयूआईडीपी चतुथचरण, जोन जयपुर
एवीएसबिल्डिगं, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर, जयपुर–302017

क्रमांकः-- एफ1(1) आर.यू.आई.डी.पी. / जोन जयपुर / कम्पूटर आपरेट / 2025–26 / 232 दिनांकः– 09/06/25

:– निविदा सूचना संख्या 01 / 2025–26 :–

विषय :– कम्पूटर ऑपरेटर (मशीन विद मैन) संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित करने हेतु।

वित्तविभाग की आईडी संख्या 172500455 दिनांक 12 / 03 / 2025 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर परियोजना निदेशक आ.यू.आई.डी.पी. जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1(1)आरयूआईपी / पीएमयू / संस्था. / पद / 2025–26 / 14435 दिनांक 26 / 03 / 2025 द्वारा इस कार्यालय मे कम्पूटर कम्पूटर ऑपरेटर (मशीन विद मैन) संविदा पर श्रम विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.(8) (5) (6)न्यू0अभि0 आई / आर / श्रम / 2020 / पार्ट / 15340 जयपुर दिनांक 30 / 07 / 2021 में अकित दर एवं शर्तो पर लगाए जाने हेतु इच्छुक फर्म / व्यक्ति / एजेन्सी से निविदा दिनांक 18 / 06 / 2025 प्रातः: 12.30. बजे तक आमंत्रित किये जाने है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 18 / 06 / 2025 को अपरान्ह 03.00 बजे खोली जावेंगी।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
जोन जयपुर

क्रमांकः-- एफ1(1) आर.यू.आई.डी.पी. / जोन जयपुर / कम्पूटर आपरेट / 2025–26 / 232 दिनांकः– 09/06/25

प्रतिलिपिः– नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
जोन जयपुर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोन जयपुर

राजस्थान शहरी आधारभूत विकाय परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)
राजस्थान, जयपुर

संवेदक के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण सहित) के उपापन बोली दस्तावेज

(वर्ष 2025–26)

दस्तावेज सारणी

क्र.स.	विवरण
01	बोली आमंत्रण सूचना
02	बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश
03	बोली डाटाशीट
04	बोली के प्रारूप
05	संविदा की शर्ते
06	संविदा प्रारूप
07	अपील
08	अपील का प्रारूप

बोली डाटा शीट

(3)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्तक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।

क्र.स.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण	संलग्नक क्रमांक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
04	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
05	आयकर (पैन नम्बर)				
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनिमय 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग में प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव हो तो निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा :

क्र.स.	विभाग/संस्था का नाम	उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित ऑपरेटर की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

हस्ताक्षर बोलीदाता

<u>बोली प्रारूप</u>

(04)

कार्य दरों का विवरण

कार्यालय में संवेदक के माध्यम ये 01 ऑपरेटर मय मशीन की सेवाओं (उपकरण सहित) के उपापन हेतु .... के लिये आपूर्ति दर निम्नानुसार होगी :

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर	EPF दर प्रतिशत 13%	ESIदर प्रतिशत 3. 25%	मशीन का किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन 01						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 – 4, 6 एवं 7 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

नोट :– जी एस टी नियमानुसार अलग से देय होगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बोली की सामान्य एवं विशेष शर्तेः–

(05)

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसरण में मानव संसाधन की उपापन हेतु विशिष्ट बिन्दू एवं शर्ते निम्नानुसार होगी।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगे। पंजीकीरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
   "परन्तुक वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1)/एफ.डी.एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 14.11.2018 के अनुसरण में यदि बोलीदाता के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियिम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमो के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है तो वह तदनुसार बचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।"
3. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अशंकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 धण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हे उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशन राशि पर की जायेगी।
4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गयी राशि का विवरण आगामी माह के बिल के अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा करायी गयी राशि के विवरण से संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा।

6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवदेक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

9. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर(GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमो व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित निमयो, उपनियमो, अधिसूचनाओ, दिशा–निर्देशो आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होग।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

13. यदि एक से अधिक निविदादाताओं की न्यूनतम दरें एक समान होने से एक से अधिक L-01 में है तो बोली डाटाशीट में सबसे अधिक अनुभव वाले निविदादाता को L-01 माना जायेगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.ए.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
15. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
16. निविदा में वर्णित मानव संसाधनो की संख्या में कमी करने /वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोन जयपुर, (आरयूआईडीपी) जयपुर को होगा।
17. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी, वह कार्य आदेश की तारीख से आदेशानुसार अवधि के भीतर योग्य मानव संसाधन उपलब्ध करवाने होगे।
18. सफल निव्रिदादाता मानव संसाधन हेतु उपलब्ध करवाये गये व्यक्तियो के बायो–डाटा मय फोटो, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रो के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत करेगा ताकि योग्य पात्रों का चयन कर सूचित किया जा सके। निर्धारित मापदण्डो के अनुसार नही पाये जाने पर संवेदक को अन्य योग्य व्यक्ति उपलब्ध करवाना होगा।
19. उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधनो में यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है या कार्य छोडकर चले जाता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था संवेदक को दो दिन में अपने स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संवेदक द्वारा व्यवस्था नही करने पर उपापन संस्था अपने स्तर से व्यवस्था करेगी । ऐसी की गयी व्यवस्था हेतु जो अतिरिक्त व्यय होगा उसे संवेदक से वसूला जावेगा।
20. किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जायेगा। इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर वित्त विभाग के आदेश एफ.9(1) वित्त'1(1) बजट/2001 दिनांक 30.05.2001 के अनुसरण में 200/– रू. प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी। पूर्व सूचना पर माह में एक दिवस का अवकाश स्वीकृत होगा।
21. उपलब्ध करवाये गये कार्मिको को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नही होगा।
22. ऑपरेटर मय मशीन के मामले में निर्धारित मापदण्डो के अनुसार मशीन संवेदक द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी। जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। बिजली उपापन संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी।
23. राजकीय सम्पत्ति को संवेदक या उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी द्वारा नुकसान पहुचाने पर उसकी संवेदक से भरपाई की जायेगी।

24. संवेदक को राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान करने का पूर्व अनुभव आवश्यक है। अतः अनुभव हेतु बोलीदाता द्वारा संबंधित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है।

25. सफल संवेदक/सेवाप्रदाता का कार्य सन्तोषप्रद नही होने पर बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोन जयपुर, (आरयूआईडीपी) जयपुर के पास होगा। निविदा की शर्तो के अनुसार योग्य व्यक्ति उपलब्ध नही करवाये जाने पर नियमानुसार संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम, 2012 की धारा 46 के अनुसार Debar करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

26. कम्प्यूटर ऑपरेटर को स्नातक एवं RS-CIT का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, साथ ही वर्ड, एक्सेल व इन्टरनेट ऑपरेया का पर्याप्त ज्ञान एवं हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग की पर्याप्त स्पीड होनी चाहिए।

27. यदि एक से अधिक निविदादाताओं की न्यूनतम दरें एक समान होने से एक से अधिक L-01 में है तो बोली डाटाशीट में सबसे अधिक अनुभव वाले निविदादाता को L-01 माना जायेगा।

28. सफल बोलीदाता को कार्यादेश के 7 दिवस में रू. 500/– के नॉन ज्युडिश्यिल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित कर कम्प्यूटर आपरेटर मशीन विद मैन उपलब्ध कराने होगे।

29. अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम 2013 एन नवीनतम संशोधन के अनुसार होगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

संविदा प्रारूप

(06)

यह अनुबन्ध आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष ....और से द्वितीय पक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोन जयपुर राजस्थान शहरी आधारभूत विकाय परियोजना, जयपुर के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध पर संवेदक के माध्यम से .... कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण सहित) के उपापन हेतु निम्नलिखित दरों एवं शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायें जावेगें।

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर	EPF दर प्रतिशत 13%	ESI दर प्रतिशत 3.25%	मशीन का किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन 01						

अन्य सभी शर्तें बोली दस्तावेज में अंकितानुसार होंगी जो कि इस अनुबन्ध का भाग है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

कार्यालयाध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
जोन जयपुर, जयपुर

1. साक्षी प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

1. साक्षी प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

अपील

(07)

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत :–

प्रथम अपील अधिकारी	सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि
द्वितीय अपील अधिकारी	सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, अथवा उनके प्रतिनिधि

2. अपील का प्रारूप :–

1. धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
2. प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथिम तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस :–

(i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पॉच सौ और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी। जो अप्रतिदेय होगी।
(ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

अपील प्रारूप

(08)

फार्म नंबर–1
(नियम 83)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

....अपील संख्या ....(प्रथम /द्वितीय अपील प्राधिकारी)...के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां : 1. अपीलार्थी का नाम : 2. कार्यालय का पता, यदि कोई हो : 3. आवासिक पता :	
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पताः 1. 2. 3.	
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लघंन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :	
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पताः	
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रों और दस्तावेजों की संख्या :	
6. अपील का आधार :	

....

....

....

.... (शपथ पत्र द्वारा समर्थित)

राजस्थान शहरी आधारभूत विकाय परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)
राजस्थान, जयपुर

बाह्य सहायता परियोजना कार्यालय टिप्पणी

विषय :– कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विद मैन) संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु।

आर.यू.आई.डी.पी जोन जयपुर कार्यालय में संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विद मैन) उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव पत्र अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड,
(आरयूडीएसआईसीईओ)
बाह्य सहायता परियोजना कार्यालय टिप्पणी

पैरा संख्या /एन की अनुपालना में इस कार्यालय के पत्रांक .... दिनांक .... के द्वारा वर्ष 2025–26 हेतु ...... कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं (उपकरण सहित) हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना ....../..... के द्वारा इच्छुक फर्म/व्यक्तियों से सील बंद प्रस्ताव दिनांक................... से दिनांक .... तक आमंत्रित किये गये। उक्त प्राप्त प्रस्ताव दिनांक .... से 3:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के सामने खोले गए। दिनांक .... को प्राप्त प्रस्तावों को कार्यालय की कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला गया जिसका तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है।

तुलनात्मक विवरण

Tender Opening Date ....

क.सं.	विवरण			
1	2	3	4	5
1	न्यूनतम मजदूरी दर			
2	श्रमिकों की संख्या			
	कुल			
3	EPF दर प्रतिशत @ 13%			
4	ESI दर प्रतिशत @3.25%			
	कुल			
5	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि			
6	मशीन का किराया			
	कुल योग			
	एवं कुल चाही गई राशि			

तुलनात्मक विवरण में बिन्दु संख्या .... पर अंकित फर्म .... की दरें न्यूनतम पाई गई है। समिति के समक्ष उक्त दरों के मूल्यांकन एवं दस्तावेजों की जांच हेतु पत्रावली प्रस्तुत है। स्वीकृति की दशा में फर्म को कार्यादेश दिया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड,
(आरयूडीएसआईसीईओ)
बाह्य सहायता परियोजना कार्यालय टिप्पणी

पैरा संख्या ....../एन से ....../एन की अनुपालना में तुलनात्मक विवरण में बिन्दु संख्या 4 पर अंकित फर्म मैसर्स ....की दरें न्यूनतम पाई गई है। प्रस्तुत दरों में नेगोशियेशन किया जाना प्रस्तावित है। पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सहायक लेखाधिकारी–II **अधिशाषी अभियंता** **अति. मुख्य अभियंता**

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता
आरयूआरडीपी चतुर्थ चरण, जोन जयपुर
एवीएस बिल्डिंग, जवाहर सर्किल के पास मालवीय नगर–302017

क्रमांक / आरयूआरडीपी / जोन जयपुर / दिनांकः

मैसर्स ....

....

....

विषय :– कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवा प्रदान कराने हेतु कार्यादेश।
संदर्भ :– निविदा क्रमांक ....दिनांक .... के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक ....को खोली गई .... कम्प्यूटर ऑपरेटर की निविदा में आपके द्वारा प्रस्तुत दरें न्यूनतम पाई गई एवं क्रय समिति की अनुशंषा पर .... कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं आपूर्ति करने हेतु दिनांक ....से .... तक कि लिए कार्य आदेश प्रदान किया जाता है। निविदा एवं निविदा की समस्त शर्तों के अनुरूप .... कम्प्यूटर ऑपरेटर (आवश्यकतानुसार) उपलब्ध करावें।

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगा मय संख्या				EPF दर प्रतिशत @13%	ESI दर प्रतिशत @ 3.25%	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति श्रमिक	मशीन का किराया	कुल अनुमोदित राशि
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति माह	श्रमिको की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल								

अनुबंध पर उपलब्ध कराये जाने वाले मैनपावर के आई डी प्रूफ एवं संबंधित योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति भी प्रेषित करावें एवं राशि रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र तैयार करावें तथा सिक्योरिटी राशि कार्यादेश का 5 प्रतिशत (रू. .... / –) जमा कराते हुए 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता
जोन जयपुर।